



कानपुर नगर निगम
निविदा सूचना

निविदा संख्या-02/मु0अभि0/2025-26

नगर निगम कानपुर के समस्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा के अन्तर्गत तथा उ0प्र0 सरकार के अधीन किसी सरकारी संस्था में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2024-25 हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों हेतु निम्नानुसार निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं :-

1. ई-निविदा पद्धति से आमन्त्रित कार्यों की निविदायें संख्या-05 दिनांक-03.05.2025

उपरोक्तानुसार आमन्त्रित निविदाओं के कार्यों का पृथक-पृथक विवरण एवं निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें कानपुर नगर निगम की वेबसाइट kmc.up.nic.in पर एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय के नोटिस बोर्ड व सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

(Signature)
मुख्य अभियन्ता
नगर निगम कानपुर

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर, जनपद-कानपुर।
- 2- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अकबरपुर(अम्बेडकरनगर)/धामपुर(बिजनौर)/जसवंतनगर(इटावा)/महराजगंज(महराजगंज)।
- 3- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भानपुर(बस्ती)/लम्भुआ(सुल्तानपुर)/रिसिया(बहराइच)/मनियर(बलिया)/रिसिया(बहराइच)/मुरसान(हाथरस)/मटौंध(बाँदा)/गंजमुरादाबाद(उन्नाव)/उझारी(अमरोहा)/दोस्तपुर(सुल्तानपुर)/राधाकुण्ड(मथुरा)/रूरा(कानपुर देहात)/कप्तानगंज(कुशीनगर)/सहावर(कासगंज)/कटेरा(झाँसी)/छितौनी(कुशीनगर)/बृजमनगंज(महराजगंज)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सेक्टर के 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों के अनुसार प्रदेश की निम्नलिखित 22 नगरीय निकायों में जल निकासी कार्य हेतु कुल रूपये 3790.96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि **रु० 695.00 लाख (रूपये छः करोड़ पichानवे लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र०स०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	बस्ती	नगर पंचायत भानपुर	197.15	40.00
2	सुल्तानपुर	नगर पंचायत लम्भुआ	248.65	40.00
3	बहराइच	नगर पंचायत रिसिया	245.16	40.00
4	अम्बेडकरनगर	नगर पालिका परिषद अकबरपुर	249.93	40.00
5	बलिया	नगर पंचायत मनियर	119.89	25.00
6	बहराइच	नगर पंचायत रिसिया	241.45	40.00
7	हाथरस	नगर पंचायत मुरसान	101.75	25.00
8	बाँदा	नगर पंचायत मटौंध	248.37	40.00
9	बिजनौर	नगर पालिका परिषद धामपुर	102.59	25.00
10	उन्नाव	नगर पंचायत गंजमुरादाबाद	104.02	25.00
11	अमरोहा	नगर पंचायत उझारी	156.84	25.00
12	सुल्तानपुर	नगर पंचायत दोस्तपुर	142.47	25.00
13	मथुरा	नगर पंचायत राधाकुण्ड	197.03	40.00
14	इटावा	नगर पालिका परिषद जसवन्तनगर	111.41	25.00
15	कानपुर	नगर निगम कानपुर	408.16	50.00

16	कानपुर देहात	नगर पंचायत रूरा	101.11	25.00
17	कुशीनगर	नगर पंचायत कप्तानगंज	110.72	25.00
18	कासगंज	नगर पंचायत सहावर	110.57	25.00
19	झांसी	नगर पंचायत कटेरा	108.95	25.00
20	महराजगंज	नगर पालिका परिषद महराजगंज	109.77	25.00
21	कुशीनगर	नगर पंचायत छितौनी	154.70	25.00
22	महराजगंज	नगर पंचायत बृजमनगंज	220.27	40.00
योग			3790.96	695.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,95,00,000 (रुपये छह करोड़ पंचानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

—

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - चषापरि

भवदीय,
29.03.2025

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 835 /2025/ नौ-5-2025 /001-Com.No.-1913476, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 8- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
29.03.2025

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

		3- नगर पंचायत, उझारी में संभल रोड पर वसीम छिछा मकान से शमशाद मलिक के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	23.85	
		4- नगर पंचायत, उझारी में संभल रोड पर अलीशेर मलिक से तालाब वाली चकरोड तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	21.12	
		5- नगर पंचायत, उझारी में आफाक की डेयरी से सन्टरी हाउस के रास्ते तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	24.70	
		6- नगर पंचायत, उझारी में वसीम अल्वी के खेत से सुलेमान की प्लाटिंग तक मुस्तकिम शाह तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	6.69	
		7- नगर पंचायत, उझारी में ढवारसी रोड से सूरज कुण्ड तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	15.36	
		8- नगर पंचायत, उझारी में सम्भल रोड से तालाब की ओर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	13.93	
		योग	156.84	25.00
12	नगर पंचायत, दोस्तपुर जनपद-सुल्तानपुर	1- नगर पंचायत, दोस्तपुर में मो0 बभनइया पूरब में दोस्तपुर-कादीपुर मार्ग पर नाला निर्माण का कार्य।	142.47	
		योग	142.47	25.00
13	नगर पंचायत, राधाकुण्ड जनपद-मथुरा	1- वार्ड नं0-03 में स्थित उदय कुण्ड से लेकर नगला सपेरा की ओर तक यू टाइप आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	39.9	
		2- वार्ड नं0-03 में नगला सपेरा से लेकर बम्बे तक यू टाइप आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	38.67	
		3- वार्ड नं0-03 परिक्रमा मार्ग से लेकर आरो प्लान्ट तक यू टाइप आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	38.67	
		4- वार्ड नं0-03 चौधरी के मकान से परिक्रमा मार्ग तक यू टाइप आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	39.98	
		5- वार्ड नं0-01 में प्रथम की दुकान से लेकर छटीकरा बाईपास नाले तक यू टाइप आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	39.81	
		योग	197.03	40.00
14	नगर पालिका परिषद जसवन्तनगर जनपद-इटावा	1- एन0एच0-2 के किनारे बिजलीघर से कोठी कैस्त तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.31	
		2- वार्ड नं0-11 में शिवकुमार वर्मा के मकान से गिहार बस्ती में मजार तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.04	
		3- वार्ड नं0-02 में श्यामबिहारी के घर से टिकू के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	33.06	
		योग	111.41	25.00
15	नगर निगम कानपुर, जनपद-कानपुर	1-Constnution of RCC nala from Hamirpur main road to Pani tanki via back side of Paritosh School Campus at saraswati Nagar &Constnction of Sumpwell in Ward 87 Zone 3.	94.43	
		2-Constnution of RCC nala Both side from Bandhu Cycle store to Satish Gupta in Yashoda Nagar Ward zone.2	21.85	
		3- Constnution of RCC nala from New RN Hospital to COD nala Machhariya Puliya via Pragya Dham in ward 95 zone .	60.30	
		4- Constnution of RCC nala From Machhariya road St. Gorge Inter College to Shakuntala Singh & Monu Trading Comp. in ward 41 zone. 2	117.39	
		5- Constnution of RCC nala From Ramjani Chauraha to COD Nala in ward 95 zone 2.	46.82	
		Add 1.50% Consistency	5.11	
		Add GST 18% as applicable	62.26	
		योग	408.16	50.00
16	नगर पंचायत रूरा जनपद- कानपुर देहात	1- नगर पंचायत, रूरा के अन्तर्गत वार्ड नं0-09, बजरंग नगर में दुलीचन्द्र के मकान से सोमवीर चौहान के मकान तक नाली निर्माण आदि कार्य।	6.72	
		2- नगर पंचायत, रूरा के अन्तर्गत वार्ड नं0-09, बजरंग नगर में दुलीचन्द्र के मकान से रामस्वरूप वाया लक्ष्मी के मकान तक नाली निर्माण आदि कार्य।	6.30	